भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2188**

जिसका उत्तर 11.03.2026 को दिया जाना है

**औपचारिक प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों (ईएलवी) के पुनर्चक्रण अवसंरचना का विकास**

2188 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों (ईएलवी) के पुनर्चक्रण के लिए पर्याप्त औपचारिक अवसंरचना मौजूद नहीं है, और यह क्षेत्र काफी हद तक अनौपचारिक स्क्रैपेज परिपाटियों से प्रभावित है;

(ख) क्या सरकार ने अनौपचारिक वाहन निस्तारण से होने वाली पर्यावरणीय और सामग्री पुनर्प्राप्ति हानि का आकलन किया है;

(ग) प्राधिकृत स्क्रैपेज सुविधाएं स्थापित करने और औपचारिक पुनर्चक्रण प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या देश भर में सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और संसाधन कुशल ईएलवी पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कोई और उपाय प्रस्तावित हैं?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार ने पर्यावरण अनुकूल तरीके से अनफिट और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक परितंत्र बनाने के लिए स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी-वीएमपी) या वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है। सरकार ने साकानि 653(अ), दिनांक 23.09.2021 के माध्यम से मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 अधिसूचित की है (इसे आगे साकानि 695 (अ), दिनांक 13.09.2022, साकानि 212 (अ), दिनांक 15.03.2024 और साकानि 700(अ), दिनांक 19.09.2025 द्वारा संशोधित किया गया)। इन नियमों में देश में औपचारिक स्क्रैपिंग परितंत्र तैयार करने के प्रावधान हैं।

दिनांक 10.03.2026 तक, देश के 22 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 134 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) संचालित किए जा रहे हैं। ये सुविधा केंद्र देश में वाहन स्क्रैपिंग परितंत्र को औपचारिक रूप देने में योगदान देते हैं।

(ख) जबकि सरकार का अनौपचारिक स्क्रैपिंग केंद्रों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से औपचारिक दायरे में लाने का लक्ष्य है और इन प्रयासों का फल मिला है। नहीं पर्यावरणीय और सामग्री पुनर्प्राप्ति हानि पर अलग-अलग मूल्यांकन नहीं किया गया है। आरवीएसएफ में पर्यावरण अनुकूल वाहन स्क्रैपिंग सुनिश्चित करने के लिए मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i) नियम 13 के उप-नियम (8) में यह प्रावधान है कि स्क्रैपिंग यार्ड में स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमों और पर्यावरणीय मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित होगा: -

1. पर्याप्त जल निकासी सुविधा के साथ गैर-निर्धारित पारगम्य डामर या कंक्रीट या एपॉक्सी लेपित फर्श (फ्लोर) पर बेकार वाहनों की पार्किंग के लिए उपयुक्त चिह्नित क्षेत्र और जमा करने के लिए आवेदनों की प्रक्रिया के दौरान भी कोई बेकार या संभावित बेकार वाहन सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क नहीं किया जाएगा और उसे केवल पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र के परिसर के भीतर रखा जाएगा।

2. ईंधन या द्रव पदार्थों या गैसों और तरल पदार्थों की निकासी के दौरान प्रदूषकों के शून्य रिसाव को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित गैर-प्रदूषणकारी उपकरण, एयरबैग को सुरक्षित रूप से समाप्त करने या हटाने के लिए प्रमाणित गैर-जोखिमकारी उपकरण, बहाने (प्रीटेंशन) के कार्य आदि, (जैसे गैर-जोखिम, प्रदूषण, विघटन (डिसमेंटल) आदि) के लिए उपयुक्त डिसमेंटलिंग उपकरण, अलग किए गए स्क्रैप के भंडारण के लिए निर्धारित क्षेत्र, अलग किए गए स्पेयर पार्ट्स के भंडारण और हैंडलिंग के लिए पर्याप्त स्थान, टायर, बैटरी, ईंधन, तेल, तरल पदार्थ और गैस जैसे ऑटोमोटिव खतरनाक कचरे के अस्थायी भंडारण के लिए निर्धारित स्थान, उपयुक्त सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, स्क्रैप आदि के सुरक्षित परिवहन के लिए सामग्री हैंडलिंग उपकरण।

3. उचित औद्योगिक ग्रेड प्रकाश व्यवस्था और वेंटिलेशन सिस्टम, ध्वनि प्रदूषण मानदंडों के अनुरूप और उचित अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र या जल पुनर्चक्रण संयंत्र।

(ii) ऑडिट रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है और पंजीकृत स्क्रैपर द्वारा आरवीएसएफ के निष्पादन और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा अनुपालन, नियामक, व्यवसाय, पर्यावरण और श्रम मानकों तथा संबंधित पुनर्चक्रण दरों का आधार, निर्धारित प्रपत्र में दर्ज किए गए मास फ्लो की जानकारी के संदर्भ में ग्रेड और मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) स्थापित करने और सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और संसाधन-कुशल ईएलवी पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -

(i) आरवीएसएफ की स्थापना के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन ऑनलाइन स्वीकार करने और उसकी प्रक्रिया को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के माध्यम से सुगम बनाया गया है।

(ii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने वाहन पोर्टल पर 'वीस्क्रैप' मॉड्यूल विकसित किया है, ताकि ऑनलाइन स्क्रैपिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके। आरवीएसएफ वाहन को स्क्रैपिंग के लिए प्राप्त करने पर 'जमा प्रमाणपत्र' तैयार करने के लिए भी इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

(iii) इस्पात मंत्रालय के तहत मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन द्वारा संचालित एमएसटीसी पोर्टल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रबंधित सरकारी ई मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी

वाहनों की स्क्रैपिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न विभागों को ई-नीलामी आयोजित करने और आरवीएसएफ के माध्यम से एंड ऑफ लाइफ वाले सरकारी वाहनों का निपटान सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान की गई है।

(iv) केंद्र सरकार, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2025-26 के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन भी प्रदान करती है, जिसके तहत वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों (आरवीएसएफ) पर वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने और संबंधित कार्यान्वयन उपाय लागू करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं

(v) दिनांक 06.03.2026 तक, देश भर में वार्षिक 10,000 से 12,000 वाहनों को स्क्रैप करने की औसत क्षमता के साथ 134 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) संचालन में हैं। अब तक आरवीएसएफ में 4,60,979 वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है, जिनमें से वर्तमान वित्त वर्ष (आज तक) के दौरान 2,79,792 वाहन स्क्रैप किए गए हैं। इसलिए मौजूदा आरवीएसएफ बुनियादी ढांचा वर्तमान में स्क्रैप किए जा रहे वाहनों की तुलना में काफी अधिक वाहनों को स्क्रैप करने में सक्षम है, जो एक संगठित और पर्यावरण अनुकूल वाहन स्क्रैपिंग परितंत्र की ओर बदलाव में सहायक होने की पर्याप्त क्षमता का संकेत है।

(vi) स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति की निगरानी करने और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए, मंत्रालय विभिन्न बैठकें आयोजित करता है, परामर्शी जारी करता है और आरवीएसएफ की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

(vii) नागरिकों को आरवीएसएफ में अपने वाहनों को स्क्रैप करने और औपचारिक पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं: -

1. साकानि 714 (अ), दिनांक 04.10.2021 में यह प्रावधान है कि यदि वाहन 'जमा प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने पर पंजीकृत किया जाता है, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

2. साकानि 720 (अ), दिनांक 05.10.2021 में "जमा प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के एवज में पंजीकृत मोटर वाहन को कर में रियायत देने (गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पच्चीस प्रतिशत तक और परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह प्रतिशत तक) का प्रावधान है। बशर्ते कि यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष तक उपलब्ध होगी।

3. साकानि 200 (अ), दिनांक 26.03.2025 में सभी परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के लिए ऐसे प्रमाण पत्र के एवज में मोटर वाहन कर में पचास प्रतिशत तक की रियायत का प्रावधान है, जो मास उत्सर्जन मानक भारत स्टेज-1 (बीएस-1) मानदंडों और पहले के मास उत्सर्जन मानक के मानदंडों के अनुसार निर्मित हैं तथा सभी मध्यम और भारी मालवाहक मोटर वाहन तथा सभी मध्यम और भारी यात्री मोटर वाहन जो मास एत्सर्जन मानक भारत स्टेज-2 (बीएस-2) मानदंडों के अनुसार निर्मित हैं।

(viii) सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने का.आ. 98 (अ), दिनांक 06 जनवरी, 2025 के माध्यम से एंड ऑफ लाइफ वाहनों के पर्यावरण की दृष्टि से समर्थ प्रबंधन के लिए पर्यावरण संरक्षण (एंड ऑफ लाइफ वाहन) नियमावली, 2025 अधिसूचित की है। ये नियम विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) के सिद्धांत पर आधारित हैं, जहां वाहनों के विनिर्माताओं को एंड ऑफ लाइफ वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए अनिवार्य ईपीआर लक्ष्य दिया जाता है। इन नियमों में कृषि ट्रैक्टर, कृषि ट्रेलर, कम्बाइन हार्वेस्टर और पावर टिलर को छोड़कर सभी प्रकार के परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को शामिल किया गया है।

(ix) सीपीसीबी ने पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से एंड ऑफ लाइफ वाहनों को डिसमैंटल करने और उनके पुनर्चक्रण करने के लिए 2023 में 'पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से एंड ऑफ लाइफ वाहनों के हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग के लिए दिशानिर्देश' तैयार किए हैं। दिशानिर्देशों में प्रदूषण को कम करने और एंड ऑफ लाइफ वाहनों को हटाने के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का भी उल्लेख किया गया है।

*****